

25/5/17 पञ्जाबी राजस्व केंद्र कोर्ट जमाना

होपमिगद पर पैसा हुई। पूर्वी उपस्थित पूर्वी ने  
पुस्तक सं. 150/12 निर्णय दिनांक 27.4.15 को  
पुस्तक अधिनियम में खारिज किया गया,  
जिसे संबंध में पूर्वी पत्र अंतर्गत कोर्ट  
3 नियम 9 व-व्याप्त 151 जा. पी. का दिनांक

29.12.15 को पैसा किया गया। इस पूर्वी पत्र  
के साथ-व्याप्त 05 कानून मियाद अधिनियम  
का प्रारंभ किया गया, जिसे अंकित किया है कि  
दिनांक 27.4.15 के निर्णय की जानकारी पूर्वी  
को दिनांक 16.12.15 को लेना अंकित करते  
इस वार्ड का खर्च बाहर चला जाने से पूर्वी  
पत्र पैसा करने में हुई देरी के समय के कठोर  
करने को पूर्वी की गई है। वत प्रकार पूर्वी  
ने-व्याप्त 05 कानून मियाद अधिनियम के

जो देरी का कारण अंकित किया गया है। निधि  
विरुद्ध मान्य नहीं लेकर बिना आवार के लेने  
से उक्त पूर्वी पत्र स्वीकार योग्य नहीं  
हतरल है। पूर्वी साथ निर्णय दिनांक 27.4.15  
के कोर्ट के संबंध में पूर्वी पत्र आपसी  
विलम्ब से दिनांक 29.12.15 को प्रारंभ  
किया गया है। पूर्वी का पूर्वी पत्र मियाद  
बाहर लेने से स्वीकार योग्य नहीं हतरल है।

कारण पूर्वी का पूर्वी पत्र अंतर्गत कोर्ट  
3 नियम 9 व-व्याप्त 151 जा. पी. का मियाद  
बाहर लेने से खारिज किया जाता है।

पञ्जाबी कैलम शुगर लेना नखर से कठ  
की जाये।